

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/95/18

प्रवेश तिथि
24-09-2018

निर्णय दिनांक
08-10-2018

- 1- **Aavas Financiers Ltd.** (पूर्व नाम ए.यू.हाउसिंग फाईनेंस लि.) 201,202 द्वितीय मंजिल साउथ एण्ड स्कवायर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया जयपुर राज. शाखा कार्यालय बहरोड जिला अलवर जरिये प्राधिकृत अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता विक्रमादित्य वशिष्ठ

प्रार्थी

बनाम

- 1- धर्मेन्द्र यादव पुत्र श्री निरंजन लाल निवासी मकान नम्बर 89, कांकर छाजा खेडकी तहसील बहरोड जिला अलवर।
2- श्रीमती सुनीता देवी पत्नि धर्मेन्द्र यादव निवासी मकान नम्बर 89, कांकर छाजा खेडकी तहसील बहरोड जिला अलवर।
3- निरंजनलाल यादव पुत्र श्री रूपराम यादव निवासी मकान नम्बर 89, कांकर छाजा खेडकी तहसील बहरोड जिला अलवर।
4- हरीराम पुत्र श्री भूराराम निवासी मकान नम्बर 141, कांकर छाजा खेडकी तहसील बहरोड जिला अलवर।

अप्रार्थी ऋणी/गारन्ट



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर बुक नम्बर 29 पट्टा नम्बर 18, मिसल नम्बर 2, संकल्प नम्बर 3 रसीद नम्बर 100 ग्राम पंचायत गूती पंचायत समिति बहरोड जिला अलवर पैमाईश रकबा 425 वर्गगल जिसकी हदूर अर्बा इस प्रकार है -तरफ पूर्व में निरंजनलाल पुत्र रूपराम का मकार, तरफ पश्चिम में हेकराज एवं बनवारी के मकान, तरफ उत्तर में धर्मचन्द योगी का मकान, तरफ दक्षिण में आम रास्ता स्थित है को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में

रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2-आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार-बहरोड(अलवर) को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकॉन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-10-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला न्यायाधीश अलवर
अलवर (राज०)